

न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

आदेश पत्रक

जिला - गुमला

वाद सं०- 01 / 2023-24

केस का प्रकार - नीलाम पत्र

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की दिप्पणी एवं तारीख
	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर बनाम मुकुंद नायक..... विपक्षी अधियाची पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम-पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें श्री मुकुंद नायक, पिता नामालूम, ग्राम- टिनटांगर, पंचायत- बेन्दोरा, पोस्ट- चैनपुर, थाना- चैनपुर, जिला- गुमला के विरुद्ध जालसाजी एवं धोखाधड़ी का सरकारी राशि का गबन से संबंधित बकाया भुगतान का आरोप लगाते हुए राशि 258623.00 रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया था। उपायुक्त, गुमला के ज्ञापांक- 7098(ii)/गो० दिनांक- 14.08.2023 के आलोक में नीलाम पत्र वादों में 250000.00 रुपये से अधिक राशि दर्ज वाले अभिलेखों के निस्तारण के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है। अतः उक्त के आलोक में नीलाम पत्र वाद सं०- 01 / 2023-24 को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, चैनपुर (गुमला) को भेजी जा रही है। लेखापित एवं सशोधित  नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।  नीलाम पत्र पदाधिकारी, -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।	